



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124542

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19019 वर्ष 2026

श्रीमती माहेश्वरी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रधान सचिव गृह

.....विपक्षी दल

आवेदक के अधिवक्ता	:	नरेंद्र कुमार सिंह
विपक्षी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

8. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
9. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना जहांगीगंज, जिला फर्रुखाबाद के केस क्राइम संख्या 42 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 115(2), 85, 80(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
10. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदिका मृतका की सास है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया कि मृतका ने आत्महत्या की और उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु- पूर्व चोटों के कारण एस्फिक्सिया पाया गया है, हालांकि मृतका के पति सह-अभियुक्त विनीत ने पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी थी और वह मृतका के शव के पूछताछ के दौरान भी उपस्थित था। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। आवेदिका 18.04.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि घटना के बाद आवेदिका और अन्य सह-अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गए थे।

12. प्राथमिकी के अनुसार, प्रथम सूचना देने वाले की बेटी की शादी 10.05.2025 को सह-अभियुक्त विनीत से हुई थी और यह आरोप है कि आवेदिका और अन्य सह-अभियुक्तों ने दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित और परेशान किया और 30.03.2026 को उसकी अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु -पूर्व चोटों के कारण एस्फिक्सिया पाया गया है, हालांकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी।

13. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश और जमानत प्रदान करने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी आनलाइन एससी इला 6765** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदिका जमानत पाने की हकदार है।

14. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

15. आवेदिका श्रीमती माहेश्वरी, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करे, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदिका मुकदमे/जांच में बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से सहयोग करेगी।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदिका किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगी।

(iv) आवेदिका उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदिका और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाना चाहिए। आवेदिका के साथ-साथ जमानतियों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोम्स) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत अनुदान के लिए नीति रणनीति मामले 31.01.2023 को तय सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, जिसे (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है) के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदिका को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।